न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामजीलाल बनाम राजस्थान सरकार वाद उदघोषणा एवं अभिलेख शुद्धि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/11	पत्रावली पेश हुयी। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता स्व. सुखजी पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी काकरिया की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 454/42 रकबा 3 बीघा वाकै ग्राम कांकरिया तहसील लालसोट में स्थित है। वादी के पिता का निधन दिनांक 10–01–10 को हो गया वादी उनका पुत्र उत्तराधिकारी होने के कारण इस भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के स्व. पिता के नाम जरिये नामान्तकरण खातेदारी कागजात राजस्व एवम् पटवार जमाबन्दी खसरा गिरदावरी में खसरानं0 454/42 सिवाय चक राजकीय भूमि थी जिनमे विभिन्न आवंटीगण के नाम भूमियां आवंटन हुई थी जिन्हे खातेदार के रूप मे राजस्व अभिलेख में अंकित किया हुआ है किन्तु खसरा नं0 42 में हुए आंवटन के आधार पर जमाबन्दी मे हुए अंकन के बावजुद नक्शा ट्रेस में आंवटीगण के नाम अंकित खातेदारी भूमियो की तरमीम नक्शा ट्रेस में हुई। लालसोट तहसील में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध की कार्यवाही वर्षो से चल रही है भू प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख तहसील कार्यालय द्वारा अपने कार्यालय में तलब किया गया है। राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस मे सिवाय चक भूमि में आंवटीगण को आंवटित भूमि की खातेदारी अंकन के बावजुद नक्शा ट्रेस में तरमीम नही होने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नया अभिलेख तैयार नही किया जा रहा था। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस तलब किये जाने पर तहसील कार्यालय द्वारा बिना पक्षकार खातेदारान का सूचना व सुनवाई के नक्शा ट्रेस में वादी के पिता स्व. सुखजी के नाम अंकित खातेदारी भूमि खसरा नं0 454/42 की तरमीम कब्जे के विपरित भिन्न स्थान पर करदी गई वादी के पिता के कब्जे की	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

भूमि को वाद पत्र के संलग्न मजरी नक्शा मे अ स्थान पर दर्शित किया जा रहा है तहसील प्रतिवादी ने नक्शा ट्रेस मे भिनन स्थान पर की है जो नले की ना काबिल काश्त भूमि है जिस पर काश्त होना संभव ही नही है। वादी को इस तथ्य की जानकारी पटवारी हल्का से भूमि का अभिलेख नक्शा ट्रेस दिनांक 25-02-19 को हुई है। वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि आप द्वारा वादग्रस्त भूमि की मौके से भिन्न तरमीम को दुरूस्त कर मौके पर विधमान माबजे के आधार पर नक्शा ट्रेस को शुद्वी करे इस पर प्रतिववादी ने वादी से कहां कि हमने तरमीम कर भू प्रबन्ध विभाग को ट्रेस विभवा दिया है अब हम तरमीम को दुरूस्त करने मे समर्थ नही है आप सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें। प्रतिवादी को आराजी वादग्रस्त के नक्शा ट्रेस में वादी को बिना सुचना व सुनवाई आंवटन के बीसो वर्ष बाद मौके पर विधमान कब्जे के विपरित स्थान पर बिना भू अभिलेख अधिकारी के आदेश तरमीम करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। अतः प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की कब्जे के विपरित स्थान पर अनाधिकृत रूप से की गई तरमीम के कारण वादी के अधिकारो का हनन होने व अपूरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना उत्पन्न हो गई है। वादी न्यायालय मान्य से संरक्षण प्राप्त कर इस आशय की उद्घोषणा चाहने को अधिकृत है कि वादी स्व. सूखजी पुत्र धन्ना का पुत्र एवम् उत्तराधिकारी होने के कारण आराजी खसरा नं0 454/42 का खातेदार एवम् काबिज काश्तकार है वादी, प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी वादग्रस्त की मौके से भिनन स्थान पर की गई तरमीम को शुद्व करवाकर नक्शा ट्रेस मे (अ) स्थान पर दर्शित स्थान पर आधिपत्य के आधार पर तरमीम करवाकर नक्शा ट्रेस में शुद्वि करवाने को अधिकृत है। वादी की ओर से वाद पत्र श्री ब्रजमोहन गौड एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी से मौका रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर प्रतिवादी ने अपनी मौका रिपोर्ट मय नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 454/42 रकबा 3 बीघा वाकै ग्राम कांकरिया तहसील लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

जिला दौसा मे स्थित है। प्रतिवादी द्वारा वादी की उक्त खातेदारी की नक्शा ट्रेस मे की गई तरमीम आधिपत्य के विपरित होने के कारण शुद्व किये जाने योग्य है तथा दुरूस्ती अभिलेख नक्शा ट्रेस में वर्तमान तरमीम को विलोपित कर वादी के आधिपत्य अनुसार करवावे तथा तहसीलदार लालसोट की मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का वादपत्र डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की मौका रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया । जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादी का वादपत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 454/42 रकबा 3 बीघा वाकै ग्राम कांकरिया तहसील लालसोट जिला दौसा का वर्तमान तरमीम को विलोपित कर वादी के आधिपत्य अनुसार तरमीम को शुद्व किया जाता है इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)